

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-देवरिया/कुशीनगर।

पत्रांक-UID No-2020/27749/KSN/Kushinagar/ 136/CFO
सेवा में,

दिनांक-फरवरी, 20 2020

श्री हरिनारायण,
स्वामी/प्रबन्धक,
परमहंश पब्लिक स्कूल,
बेलवा सुदामा, मु०गंज, हाटा,
जनपद-कुशीनगर।

विषय:- परमहंश पब्लिक स्कूल, ग्राम-बेलवा, मुहम्मद गंज, हाटा, जनपद-कुशीनगर भवन की प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:-
कृपया उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र संख्या-शून्य दिनांक-17.02.2020 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अमिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, प्रमारी अग्निशमन केन्द्र पड़रौना जनपद-कुशीनगर की आख्या दिनांक-18.02.2020 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

भवन की संरचना

- 1- कुल भूखण्ड एरिया-998.93 वर्ग मीटर
- 2- निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-407.69 वर्ग मीटर
- 3- प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर(प्रत्येक तलवार विवरण)
प्रथम तल-शून्य वर्ग मी०
- 4- बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया- शून्य मीटर
- 5- बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर
- 6- बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर
- 7- भवन की ऊँचाई-3.65 मीटर है।

भवन का अधिमोग एवं हैजाई श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिमोग एन०बी०सी० की श्रेणी के बी-1 अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(प्रश्नगत शैक्षणिक भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल टाइप-प्रथम)

ढाँचागत व्यवस्था:-

- 1- पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 12 मीटर रोड की चौड़ाई है।
- 2- प्रवेश द्वार की चौड़ाई:-4.5 मीटर जो मानक के अनुसार है।
- 3- सैटबैक:-प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है।
ए०-अग्रभाग-09.50 मीटर
बी०-पृष्ठभाग-3.30 मीटर
सी०-पार्श्वभाग प्रथम-3.30 मीटर
डी०-पार्श्वभाग द्वितीय-3.63 मीटर
- 4- निकास मार्ग:-प्रस्तावित भवन में 01 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1.5 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत होगा।
- 5- रिफ्यूज एरिया का विवरण:-एन०बी०सी० के क्लाज-04.12.3 के नोटशीट के अनुसार वांछित नहीं है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ सदैव कार्यशील बनाये रखना अनिवार्य है।

- 1-सुमिगत टैंक:-प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।
- 2-पम्प:-प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।
- 3-होजरील:-प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।
- 4-वेटशइजर:-प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।
- 5-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेंट होज केबिनेट एवं डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्रावधान आई०एस०-13039:1991 के अनुसार वांछित नहीं है।
- 6-हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।
- 7-स्वचालित डिट्रेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।
- 8-स्वचालित सिग्नलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।
- 9-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।

10-टेरिस पम्प-प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है, जो मानकों के अनुरूप 04 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता-04 कि0ग्रा0 स्थापित किया जाना वांछित है।


12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित नहीं है।

13-प्रेसराइजेशन प्रणाली:-प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वांछित नहीं है।

14-एग्जिट साईनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज वांछित है।

15-पी0ए0सिस्टम-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में वांछित है।

अतः उपरोक्तानुसार, मेसर्स, परमहंस पब्लिक स्कूल, मुहम्मद गंज, हाटा, जनपद-कुशीनगर के प्रस्तावित विद्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा है भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


(शंकर शरण राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
देवरिया / कुशीनगर।

प्रतिलिपि-1. उपनिदेशक फायर सर्विस, नोश्कपुर को हार्ड सूचनायें।

2 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, प्रमारी अग्निशमन केन्द्र पड़रौना जनपद कुशीनगर को उनकी निरीक्षण आख्या दिनांक-18.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित की पत्रावली खोलकर उस पर सुरक्षित रखेंगे तथा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करके यथा स्थिति का आकलन करते रहेंगे। आकस्मिक निरीक्षण में यदि किसी प्रकार की अनियमितता मिलती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके यथास्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे। क्योंकि आग से होने वाली क्षति व्यक्तिगत क्षति के साथ राष्ट्र की क्षति है, जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नहीं है।

(शंकर शरण राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
देवरिया / कुशीनगर।